न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 113/2017 दायर तारीख :– 28.11.2017

1. प्रहलाद पुत्र भंवर लाल जाति ब्राहम्ण निवासी दोल्यापुर तहसील विराटनगर, जिला जयपुर। —— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थी

उपस्थित : श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी एवं स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित करने मय पुलिस इमदाद

निर्णय

निर्णय दिनांक : 11.05.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दौल्यापुर के खाता संख्या 146 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 2990/0.20, 2991/0.51, 2992/0.13 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने तहसीलदार के आदेश क्रमांक : 581 दिनांक 11.04.1997 की पालना में दिनांक 15.05.201997 को तथा आदेश क्रमांक : भू.अ./2018/1027 दिनांक 09.04.2018 की पालना में दिनांक 12.04.2018 को खसरा नम्बर 2990/0.20, 2991/0.51, 2992/0.13 हैक्टेयर का सीमाज्ञान करवाया है। प्रार्थी के पडौसी खातेदारों ने उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखल करने लगे है। प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2990/0.20, 2991/0.51, 2992/0.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 15.05.1997, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 12.04.2018, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

11/5/18

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार–2018
विराटनगर (जयपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ढाणी गैसकान में वास्ते सुनवाई पेश हुआ है।
5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम दौल्यापुर के खाता संख्या 146 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 2990/0.20, 2991/0.51, 2992/0.13 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। मुताबिक फर्द सीमाज्ञान दिनांक 15.05.1997 एवं 12.04.2018 प्रार्थी ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाया है, तथा प्रार्थी की आराजी से अन्य किसी का कोई संबंध नहीं है। खातेदार को अपनी आराजी की सीमाओं को सुरक्षित रखने का अधिकारी है तथा खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किया जाना न्यायसंगत है।
7. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि आराजी ग्राम के खाता संख्या 146 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 2990/0.20, 2991/0.51, 2992/0.13 हैक्टेयर का सीमांकन कर पत्थरगढी स्थायी चिन्ह स्थापित करावे। मौके पर कानून व्यवस्था के संबंध में तहसीलदार अपने स्तर से संबंधित थानाधिकारी से पुलिस जाप्ता प्राप्त करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय मजमा–ए–आम दिनांक 11.05.2018को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (राजस्थान)